

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 26 मार्च, 2025 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

1.	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9 जिसकी सूचना श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश देने से संबंधित।
2.	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-23 जिसकी सूचना श्री अशोक कुमार अरोडा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	राज्य में राजकीय विद्यालयों की दयनीय स्थिति से सम्बंधित।
	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-30 श्री मनदीप चट्टा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-36 श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।

IV. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

1.	अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2024-2025 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 52 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
2.	जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2024-2025 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 12 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
3.	लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2024-2025 के लिए लोक लेखा समिति की 91 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
4.	शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2024-2025 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की 10 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5.	लोक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2024-2025 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 71 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
6.	प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2024-2025 के लिए प्राक्कलन समिति की 52 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

V. विधायी कार्य।

(i) (पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;
2. अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025	एक मंत्री	अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।
2. हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।
3. हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।
4. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

चण्डीगढ़:

25 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,

प्रभारी सचिव।